भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 220

03 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: जंगली/आवारा पशुओं द्वारा फसलों को क्षति

***220. श्री कौशलेन्द्र कुमारः**

श्री नरेन्द्र कुमारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अनेक राज्यों में पशुओं सहित जंगली/आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और किसानों को पूरी रात जाग कर अपनी फसलों की रक्षा करनी पड़ती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यों में जंगली पशुओं और आवारा पशुओं के कारण फसलों को हुई क्षति तथा किसानों को हुई हानि का कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित किसानों की हानि की क्षतिपूर्ति की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने फसलों/खेतों की सुरक्षा करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी नए कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है या प्रस्ताव कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जंगली/आवारा पशुओं द्वारा फसलों को क्षति के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.12.2019 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या. 220 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित विवरण:

(क) देश के बहुत से राज्यों में जंगली एवं आवारा पशुओं से फसलों को क्षति हुई है। किसान अपनी फसलों को विभिन्न तरीकों अर्थात व्यक्तिगत एवं सामुहिक संरक्षण, कटिले तारों के घेर और बैरियर्स आदि लगाकर सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ख) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, जंगली एवं आवारा पशुओं द्वारा खेतों में फसलों को पहुंचाई गई क्षति की कीमत का मूल्यांकन/अध्ययन नहीं करता है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जंगली एवं आवारा पशुओं द्वारा बर्बाद की गई फसलों के कारण हुई क्षति की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है।

(ग) एवं (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा "वन्य जीव हैबिटेट, प्रोजेक्ट टाईगर एवं प्रोजेक्ट एलीफैन्ट एकीकृत विकास'' नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश में जंगली जानवरों और उनके आवास के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन स्कीमों के तहत चलाए जाने वाली गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ कटिले तारों के घेर, कैक्टस बाऊंडी दीवार आदि का उपयोग करते हुए बायो-फैंसिंग सहित सोलार पॉवर इलैक्ट्रिक फैंसिंग जैसे- फिजीकल बैरियर्स का निर्माण/खड़ा करना शामिल है ताकि फसलों वाले खेतों में जंगली जानवरों का प्रवेश रोका जा सके। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जंगली जानवरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ईम्यूनो-कंट्रासेप्टिव जैसे उपायों को अपना रहा है।

रबी 2018-19 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत राज्यों को जहां कहीं भी अत्यधिक जोखिम एवं पहचान योग्य जोखिम है, वहां जंगली जानवरों के आक्रमणों से फसलों को पहुंचने वाली क्षति के लिए ऐड-ऑन-कवरेज प्रदान करने के लिए विचार करने पर छूट दी गई है।

(ड.) जी नहीं।

****